न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस

अपील संख्या 49/2018

प्रभुदयाल पुत्र फूसाराम जाति ब्राहमण निवासी बिलोचिया तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 04.05.2011

उपस्थिति :–

श्री राजीव जग्गा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 10/1/19

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थी को चक 6 बी.एल.एम. के मु.नं. 187/399 का 14.14बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसकी उसने प्रथम किश्त जमा करवा दी थी। उक्त रकबा विवादित होने के कारण पठानाराम के नाम से पुख्ता आवंटन कर दिया। उक्त रकबा के बदले में प्रार्थी को आज तक रकबा आवंटन नहीं किया है। अतः उक्त रकबा के बदले में अन्य भूमि आवंटित की जावे। प्रा.पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट कमांक/भू–अभि./6202 दिनांक 29.09.2011 अधी. न्यायालय को प्रेषित कर दी। उक्त रिपोर्ट पर ही उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर ने प्रा. पत्र को फाईल कर प्रार्थी को सूचित करने के आदेश दिये, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को चक 6 बी.एल.एम. के मु.नं. 197/399 की 14.14 बीघा भूमि आवंटन की गई थी जिसकी एक किश्त उसके द्वारा जमा करवा दी थी। उक्त रकबा विवादित होने के कारण पठानाराम को आवंटित कर दिया गया। उक्त भूमि के बदले में प्रार्थी काफी समय से अन्य भूमि आवंटन करवाने हेतु चाराजोही करता रहा है। लेकिन उसे आवंटन नहीं किया गया। प्रार्थी/अपीलांट को पात्र मानते हुए ही 14.14 बीघा भूमि का ही आवंटन किया गया था। अधी. न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र पर तहसील से रिकार्ड मंगवाने के पश्चात अपीलांट को बिना सुने, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये रिपोर्ट पर ही फाईल करने का आदेश व प्रार्थी को सूचित करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। अधी. न्यायालय को चाहिए था कि प्रकरण का निर्णय प्रार्थी/अपीलांट को सुनकर गुणावगुण के आधार पर करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार कर, अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है, देरी बाबत समुचित कारण अंकित नहीं किये। अधी. न्यायालय में तहसीलदार की रिपोर्ट आने पर उसका अवलोकन करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र को फाईल करने सम्बन्धी जो आदेश दिया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 04.05.2011 के विरूद्ध 09.05.2018 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने को दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश करने पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर तहसीलदार की रिपोर्ट पर ही प्रा.पत्र फाईल कर प्रार्थी को सूचित करने का आदेश दिया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधी. न्यायालय ने वस्तुतः कोई विधिवत गुणावगुण पर आदेश पारित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में इस न्यायालय के स्तर पर गुणावगुण पर निर्णय करने की स्थिति नहीं बनती है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है। परन्तु यहां यह न्यायालय उचित समझता है कि अधी. न्यायालय को चाहिए था कि प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर ही करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रकरण पर गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील अपीलांट खारिज कर अधी. को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र पर दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/11/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर